Name of the State	1993-94 Achievement	1994-95 Achievement	1995-96 Achievement	1996-97 Achievement	1997-98* Achievement
Uttar Pradesh	47722	50908	159073	139801	80958
West Bengal	13389	15526	34278	34722	29490
A & N Islands	21	21	21	78	6
D & N Haveli	60	59	13	50	100
Daman & Diu	13	45	62	92	38
Lakshadweep	0	0	10	105	60
Pondicherry	48	0	36	113	199
TOTAL	372535	390482	863889	806290	641325

*Provisional

Achievements made under PMRY

857. SHRI BALWANT SINGH RAMOOWALIA:
SHRI BARJINDER SINGH HAMDARD:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Banks way behind in meeting Rojgar Yojana Targets" published on 1st March, 1998 in the daily Business Standard;

(b) if so, whether it is a fact that Prime Minister Rozgar Yojana's targets would not be achieved during the last few years; and

(c) if so, what targets were fixed and the achievements made under PMRY during 1995-96, 1996-97 and 1997-98?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) No, Sir. The Business Standard Limited have reported that they had no publication of Business Standard on Sunday the 1st March, 1998.

(b) and (c) Do not arise.

बिहार में पंचायत समिति, जिला परिषद के चुनाव

858. श्री ईश दत्त यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अभी तक पंचायत समिति, जिला परिषद् और उनके मुखिया तथा सरपंच के चुनाव न कराये जाने के क्या कारण हैं जबकि उन निकायों के गठन से छह माह की अवधि के भीतर चुनाव कराए जाने अनिवार्य हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में किसी न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वहां ये चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) से (ग) पटना उच्च न्यायालय ने 1994 की जी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 3351 और सदृश मामलों को बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के कतिपय उपबंधों को खारिज करके रिट याचिकाओं का निपटान कर दिया था। उच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित उपबंधों को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि यादवों, कोरियों और कुर्मियों जैसे कतिपय वर्गों जिनका राजनीतिक रूप से अच्छा प्रतिनिधित्व है को निकालकर पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना चाहिए और समग्र आरक्षण को भी 50% तक सीमित किया जाना चाहिए। पटना उच्च न्यायालय ने पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति के प्रमुख और जिला परिषद के अध्यक्ष के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1993 के खण्ड 15(7) में निहित उपबंधों को भी इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये एकमात्र पद हैं और इनको आरक्षण देने का अभिप्राय शत-प्रतिशत आरक्षण देना होगा। बिहार सरकार ने एस.एल.पी. सं. 9724-9728, 9819-9825 के जरिए सर्वोच्च न्यायालय में मामला दायर किया। दिनांक 22-07-1997 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"चूंकि भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 1993 की

वैधता पर इन एस.एल.पी. (सी) संख्या 9724-28 और 9819-25/96 को निपटाने के उद्देश्य से विचार किया जाना था, अत: हम समझते हैं कि मामले पर संघटन न्यायपीठ द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। इसलिए रजिस्ट्री द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त न्यायपीठ के गठन के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष इन मामलों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेश किया जाता है कि बिहार राज्य में पंचायत के चुनाव तब तक शुरू नहीं किए जा सकते जब तक इन मामलों का निपटान न कर दिया जाए।"

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपयुर्क्त आदेश से यह स्पष्ट है कि बिहार में पंचायतों के चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संघटन न्यायपीठ द्वारा इन मामलों का निपटान न कर दिया जाए। मंत्रालय ने मामले को विधि और न्याय मंत्रालय और भारत के महान्यायवादी के साथ उठाया है और यह अनुरोध किया है कि इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त न्यायपीठ के गठन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शीघ्र कदम उठाएं।

बिहार में बंजरभूमि का प्रयोग

859. श्री जनार्दन यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा बागवानी के प्रयोजनार्थ कितनी बंजरभूमि का उपयोग किया गया है;

(ख) बिहार में तीन वर्ष पहले कुल कितनी बंजरभूमि थी तथा इस समय यह बंजरभूमि कितनी है;

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी गई थी; और

(घ) बंजरभूमि के विकास के लिए क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबा गौड़ा पाटिल): (क) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम की परियोजनाओं के अंतर्गत वाटरशेड क्षेत्रों का विकास भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्थानीय समुदाय द्वारा समेकित रूप में किया जाता है। मार्गदर्शी सिद्धांतों के अंतर्गत बागवानी अथवा कृषि के लिए भूमि उपयोग अथवा विशिष्ट उपयोग के बारे में ऐसे किसी परिवर्तन के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बल्कि भूमि की उत्पादकता बढ़ाने पर बल दिया गया है।

(ख) देश में बंजरभूमि के बारे में विभिन्न संस्थाओं द्वारा भिन्न-भिन्न अनुमान दिये गये हैं। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी, हैदराबाद ने 1995 के स्तर के अनुसार बिहार में 25.827 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि होने की सूचना दी है। विभाग द्वारा 3 वर्षों की अवधि के पश्चात परिवर्तन संबंधी कोई आवधिक अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा बंजरभूमि के विकास के लिए बिहार राज्य को 6.72 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

(घ) बंजरभूमि के विकास के लिए बंजरभूमि विभाग ने पांच योजनायें, नामश: समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम, प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना, स्वयंसेवी एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान योजना, निवेश संवर्धन योजना तथा बंजरभूमि विभाग कृतिक बल योजना आरंभ की है।

Handing over of DRDA to Autonomous Council in Assam

860. SHRI PRAKANTA WARISA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have given a clearance with a direction to the State Government of Assam to hand over the DRDA Department (District Rural Development Agency) to the Autonomous Council of Hill Areas of Assam as per the spirit of Memorandum of Understanding (MoU);

(b) if so, the specific reasons for not handing over that Department to the Council; and

(c) what action Government propose to take against the State Government and the time by which it is likely to be handed over to the Hill Council, Assam?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) The Ministry of Rural Areas & Employment has concurred with the proposal of Government of Assam to entrust the control of DRDAs to the Autonomous District Councils of Karbi Anglong and North Cachar Districts.

(b) Government of Assam have informed that the handing over is under active consideration and that procedures to be